भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2073

04 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

ईसीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों में नकद रहित उपचार

2073. श्री एम.वी.वी सत्यनारायण:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:
श्री के. सुब्बारायण:
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:
श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:
श्री रघु राम कृष्ण राजू:
श्री एम. सेल्वराज:
श्री पी.वी मिधुन रेड्डी:
श्री श्रीधर कोटागिरी:
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:
श्री पी.सी. गद्दीगौदार:
श्री एन. रेड़डप्प:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के अंतर्गत कई पैनलबद्ध निजी अस्पताल उनके बकाया बढ़ जाने और सरकार द्वारा भुगतान में विलंब करने के कारण स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए नकद रहित सेवाएं बंद करने जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कुल बकाया की कुल राशि कितनी है तथा भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को भारतीय चिकित्सा संघ से उक्त बकाया राशि के भुगतान हेतु निवेदन प्राप्त हुए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ईसीएचएस लाभार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए इस मुद्दे का समयबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ): लम्बित बिलों के भुगतान के लिए अस्पतालों के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा परिषद से अनुरोध प्राप्त हुए थे। तथापि, पैनलबद्ध अस्पताल ईसीएचएस के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप ईसीएचएस सदस्यों को उपचार मुहैया करा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में ईसीएचएस को 1591 करोड़ रू. की अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया गया है। पैनलबद्ध अस्पतालों के लम्बित बिलों का भुगतान किया जा रहा है। दिनांक 20.02.2020 तक लम्बित बिलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

भुगतान के लिए अनुमोदित बिल - 499 करोड़ रू.

प्रक्रियाधीन बिल - 1246 करोड़ रू.

*****